न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास डॉ. वीना प्रधान, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक/वि.अ./10/2020/टोंक (2020–00010)

विभागीय अपील द्वारा श्री रामकिशन वर्मा कनिष्ठ लिपिक हाल वरिष्ठ सहायक तहसील निवाई जिला टोंक विरूद्ध जिला कलक्टर, टोंक के आदेश क्रमांक एफ.1(6) वि.जा./स्था0/2011 दिनांक 21.11.2011 जिसके द्वारा अपचारी कर्मचारी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

उपस्थितः– श्री रामकिशन वर्मा कनिष्ठ लिपिक हाल वरिष्ठ सहायक तहसील निवाई जिला टोंक।

निर्णय

दिनांकः– 08–12–2021

यह अपील राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, टोंक के आदेश दिनांक 21.11.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत विभागीय जांच प्रारम्भ करते हुए उनके नाम दिनांक 6–7–2011 को एक ज्ञापन जारी किया गया। इनके विरूद्ध निम्न आरोप लगाये गयेः–

आरोप संख्या 1 :–

आप श्री रामकिशन वर्मा कनिष्ठ लिपिक तहसील निवाई में पंजीयन लिपिक के पद पर कार्यरत रहते समय छोटू पुत्र धन्ना जाति ब्राहम्ण निवासी चेनपुरा द्वारा दिनांक 1–3–2011 को ग्राम चेनपुरा के खसरा नम्बर 281, 202, 346, 739, 26/1165, 27, 28/1163, 28/1169, 36/1, 36/2, 36/4, 319, 349, 402, 619, 37/3, 208, 279, 293, 294, 295, 296, 307, 315, 316, 321, 326, 328, 335, 339, 629, 725, 728/1, 741, 818 का उसके हिस्से का विक्रय पत्र उप पंजीयक निवाई के समक्ष प्रस्तुत करने पर आप द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई द्वारा दिनांक 15–2–2011 को ग्राम चेनपुरा तहसील निवाई के खसरा नम्बर 208, 279, 293, 294, 295, 296, 307, 315, 316, 321, 326, 328, 335,

Scanned with CamScanner

339, 629, 725, 728/1, 741 एवं 818 के बेचान एवं हस्तांतरण नहीं करने के संबंध में स्थगन आदेश जारी किये जाने के तथ्यों की जानकारी होने के उपरान्त भी दस्तावेज को पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया गया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई द्वारा दिनांक 15–2–2011 को दिये गये स्थगन आदेश दिनांक 23–2–2011 को पंजीयन शाखा तहसील निवाई को दिया गया था। इस प्रकार आप द्वारा न्यायालय का स्थगन आदेश होने के उपरान्त भी दस्तावेज को पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया गया। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिता, राजकार्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता, न्यायालय के आदेशों की अवहेलना तथा दुराचरण का द्योतक है, जिसके लिए आप दोषारोपित है।

आरोप संख्या 2 :–

आप श्री रामकिशन वर्मा कनिष्ठ लिपिक तहसील निवाई में पंजीयन लिपिक के पद पर कार्यरत रहते समय छोटू पुत्र धन्ना जाति ब्राहम्ण निवासी चेनपुरा द्वारा विक्रय पत्र ग्राम चेनपुरा के खसरा नम्बर 197 व 203 का उसके हिस्से का विक्रय पत्र उपपंजीयक निवाई के समक्ष प्रस्तुत करने पर आप द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई द्वारा दिनांक 15–2–2011 को ग्राम चेनपुरा तहसील निवाई के खसरा नम्बर 197 के बेचान एवं हस्तांतरण नहीं करने के संबंध में स्थगन होने की जानकारी होने के उपरान्त भी दस्तावेज को पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया गया। स्थगन आदेश दिनांक 23–2–2011 को पंजीयन शाखा तहसील निवाई को दिया गया था। इस प्रकार आप द्वारा न्यायालय का स्थगन आदेश होने के उपरान्त भी दस्तावेज को पंजीयन हेतु प्रस्ततु किया गया। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिता, राजकार्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता, न्यायालय के आदेशों की अवहेलना तथा दुराचरण का द्योतक है, जिसके लिए आप दोषारोपित है।

आरोप संख्या 3 :–

आप श्री रामकिशन वर्मा कनिष्ठ लिपिक तहसील निवाई में पंजीयन लिपिक के पद पर कार्यरत रहते समय छोटू पुत्र धन्ना जाति ब्राहम्ण निवासी चेनपुरा द्वारा विक्रय पत्र ग्राम चेनपुरा के खसरा नम्बर 737/1 व 736 का उसके हिस्से का विक्रय पत्र उप पंजीयक निवाई के समक्ष प्रस्तुत करने पर आप द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निवाई द्वारा दिनांक 15–2–2011 को ग्राम चेनपुरा तहसील निवाई के खसरा नम्बर 737/1 व 736 के बेचान एवं हस्तांतरण नहीं करने के संबंध में स्थगन होने की जानकारी होने के उपरान्त भी दस्तावेज को पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार आप द्वारा न्यायालय का स्थगन आदेश होने के उपरान्त भी दस्तावेज को पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया गया। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिता, राजकार्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता, न्यायालय के आदेशों की अवहेलना तथा दुराचरण का द्योतक है, जिसके लिए आप दोषारोपित है।

Scanned with CamScanner

आरोप संख्या 4 :–

आप श्री रामकिशन वर्मा कनिष्ठ लिपिक तहसील निवाई में पंजीयन लिपिक के पद पर कार्यरत रहते समय छोटू पुत्र धन्ना जाति ब्राहम्ण निवासी चेनपुरा द्वारा दिनांक 1–3–2011 को ग्राम चेनपुरा के खसरा नम्बर 622 रकबा 0.08 किस्म चाही प्रथम का 2/3 हिस्से का हकत्याग अपने सगे भाई रामसहाय पुत्र धन्ना जाति ब्राहम्ण के पक्ष में करने का हक त्याग दस्तावेज प्रस्तुत करने पर आप द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई द्वारा दिनांक 15–2–2011 को ग्राम चेनपुरा तहसील निवाई के खसरा नम्बर 622 के बेचान एवं हस्तांतरण नहीं करने के संबंध में स्थगन होने की जानकारी होने के उपरान्त भी दस्तावेज को पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार आप द्वारा न्यायलय का स्थगन आदेश होने के उपरान्त भी दस्तावेज को पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया गया। आपका उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिता, राजकार्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता, न्यायालय के आदेशों की अवहेलना तथा दुराचरण का द्योतक है, जिसके लिए आप दोषारोपित है।

आरोप संख्या 5 :–

आप श्री रामकिशन वर्मा कनिष्ठ लिपिक तहसील निवाई में पंजीयन लिपिक के पद पर कार्यरत रहते समय छोटू पुत्र धन्ना जाति ब्राहम्ण निवासी चेनपुरा द्वारा दिनांक 1–3–2011 को ग्राम चेनपुरा के खसरा नम्बर 197, 208, 279, 293, 294, 295, 296, 307, 315, 316, 321, 326, 328, 335, 339, 622, 629, 725, 728/1, 736, 737/1, 741 एवं 818 के हस्तांतरण पर दिनांक 29–3–2011 तक अस्थायी निषेधाज्ञा दी जाने पर पीड़ित श्री सूरजमल पुत्र छोटूलाल ब्राहम्ण निवासी चेनपुरा द्वारा दिनांक 23–3–2011 को प्रार्थना पत्र के साथ फर्द अहकाम की सत्यापित प्रति तहसील में प्रस्तुत करने पर भू–अभिलेख शाखा तहसील निवाई द्वारा पत्रांक 1215 दिनांक 23–2–2011 को आपको भिजवाई जाने पर आपके द्वारा उस स्थगन का स्थगन पंजीका में इन्द्राज नहीं किया गया तथा आप द्वारा आरोप विवरण पत्र के क्रम संख 1 से 4 के अनुसार विक्रय पत्र तथा हकत्याग के दस्तावेजों को दिनांक 1–3–2011 को पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया गया। पंजीयन नियमों के अन्तर्गत न्यायालय द्वारा स्थगन देने के उपरान्त उससे संबंधित दस्तावेजों का पंजीयन करना नियम विरूद्ध होने की जानकारी होने के उपरान्त भी आप द्वारा उक्त खसरा नम्बरों से संबंधित दस्तावेजों का पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार आप द्वारा पंजीयन नियमों का मनमाने तरीके से उपयोग कर न्यायालय के स्थगन आदेश के उपरान्त भी खसरा नम्बरों के हस्तांतरण के दस्तावेजों के पंजीवद्ध करना कृत्य स्वेच्छाचारिता, राजकार्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता, न्यायालय के आदेशों की अवहेलना तथा दुराचरण का द्योतक है, जिसके लिए आप दोषारोपित है।

अपीलार्थी को 15 दिवस के अन्दर लिखित अभिकथन प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया। इन्होंने निर्धारित अवधि में लिखित अभिकथन प्रस्तुत कर

Scanned with CamScanner

आरोपों को इन्कार किया। जिला कलक्टर, टोंक ने अपीलार्थी को विधिवत सुनने के पश्चात उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब से असन्तुष्ट होने पर दिनांक 21–10–2011 को आदेश पारित किया जिसमें अपीलार्थी को उक्त प्रकरण में दोषी मानकर उनकी दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने का दण्ड दिया। उक्त दण्डादेश को विचाराधीन अपील में चुनौती दी गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा जिला कलक्टर, टोंक का रेकार्ड व टिप्पणी प्राप्त की गई। अपीलार्थी को व्यक्तिशः सुना गया इनका कथन है कि जिला कलक्टर, टोंक का आदेश दिनांक 21–11–2011 विधिविरूद्ध पारित किया गया है।

अपीलार्थी ने बहस के दौरान कथन किया कि जिला कलक्टर, टोंक ने अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना दण्डादेश पारित कर दो वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकी गई है। राज्य सरकार के परिपत्र क–एफ कार्मिक (क–3) 79 दिनांक 26–3–1980 जारी कर आरोपों को निर्धारित करने से पूर्व प्राथमिक जांच कराये जाने की व्यवस्था है। उक्त प्रकरण में नियम 17 के तहत विभागीय जांच प्रारम्भ करने से पूर्व केवल स्पष्टीकरण मांगा गया परन्तु स्पष्टीकरण में वर्णित तथ्यों की किसी भी अधिकारी से प्राथमिक जांच नहीं करवाई गई है। जिला कलक्टर, टोंक का आदेश स्पीकिंग आदेश नहीं है। आदेश में आरोपों को प्रमाणित मानने व अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्को को नहीं मानने के कोई कारण अंकित नहीं किये गये है। आरोप पत्र में वर्णित घटना फरवरी 2011 की है और अपीलार्थी के विरूद्ध दिनांक 6–7–2011 को 6 महीने पश्चात आरोप–पत्र जारी किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय मोहन भाई डूंगर भाई परमार बनाम वाई.वी झाला 1980 लैब आई.सी. 89 (गुजरात) के प्रकरण में सिद्धान्त पारित किया है कि क्या एक वर्ष की देरी अपने आप में युक्तियुक्त अवसर का हनन नहीं है? माननीय न्यायालय ने अभिनिर्णित किया कि विलम्ब घातक है और युक्तियुक्त अवसर तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का हनन है। प्रस्तुत प्रकरण में भी घटना के 06 माह पश्चात आरोप पत्र दिया गया है जो उपरोक्त वर्णित सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलार्थी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में कुछ न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर इस ओर ध्यान आकर्षित किया गयाः– यथा

1. A.I.R 1976 (S.C) पृष्ठ 2277
2. A.I.R 1976 (S.C) पृष्ठ 2037
3. R.L.W 1977 पृष्ठ 599
4. S.C.C 1979 पृष्ठ 157

बहस के दौरान अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि जिला कलक्टर टोंक ने अपीलार्थी के नाम दिनांक 6–7–2011 को एक ज्ञापन मय आरोप पत्र जारी किया गया जिसमें अपीलार्थी को 15 दिवस के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के

Scanned with CamScanner

आदेश दिये गये। अपीलार्थी ने निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर आरोपों का खण्डन करते हुए व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने का अनुरोध किया गया किन्तु अपीलार्थी को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिये बिना ही दण्डादेश पारित कर दिया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने 2005 (3) सी.डी.आर पृष्ठ 1982 जगदीश चन्द बनाम राजस्थान सरकार तथा राजेन्द्र दत्त शर्मा बनाम सरकार के प्रकरण में नियम 17 के तहत कार्यवाही में अपचारी कर्मचारी को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक माना गया है। सीसीए नियम 1958 के नियम 17 (ग) के तहत भी कर्मचारी को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक माना गया है। जिला कलक्टर टोंक ने व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही दण्डादेश पारित किया है जो नियम 17 (3) के प्रावधानों एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

उन्होंने यह भी कथन किया कि अपीलार्थी के विरूद्ध न्यायालय द्वारा हस्तांतरण पर रोक लगाये जाने के बाद भी विवादित भूमि के विक्रय पत्र प्रस्तुत होने पर उन्हें पंजीयन करने के 5 अलग–अलग आरोप लगाये गये हैं एक ही नियम के 5 अलग–अलग आरोप लगाकर प्रकरण को गंभीर बनाने का प्रयास किया गया है। आरोप पत्र में वर्णित भूमि के विक्रय पत्र व हक त्याग संबंधी दस्तावेज पंजीयन के लिए प्रस्तुत किये गये जिनका विधिवत रूप से दिनांक 1–3–2011 को पंजीयन कर पक्षकारों को लौटा दिये गये। जहां तक उक्त विवादित भूमि के बारे में उपखण्ड अधिकारी निवाई का स्थगन आदेश होने का प्रश्न है उक्त सबंध में उपखण्ड अधिकारी निवाई का दिनांक 15–2–2011 को जारी स्थगन आदेश की फोटो प्रति सूरजमल पुत्र छोटूलाल ने तहसीलदार निवाई को प्रेषित की। उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया कि उपखण्ड अधिकारी निवाई ने दिनांक 15–2–2011 से आगामी तारीख तक रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया गया है। उक्त पत्र तहसील निवाई के भू.अ शाखा को मार्क किया गया और भू.अ.शाखा ने उक्त पत्र की फोटो प्रति हलका पटवारी व पंजीयन शाखा को दिनांक 23–2–2011 को भेजी। जब किसी न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश जारी किया जाता है तो वह न्यायालय स्थगन आदेश की प्रति अधिनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भेजती है। उक्त प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी निवाई ने स्थगन आदेश दिनांक 15–2–2011 की प्रमाणित प्रतिलिपि तहसीलदार निवाई को नहीं भिजवाई गई बल्कि सूरजमल नाम के व्यक्ति ने केवल अपने प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 15–2–2011 के आदेश की फोटो प्रति पेश की है। जिसमें प्रतिवादीगण को पाबन्द किया गया है कि वे आगामी पेशी तक विवादित भूमि को हस्तांतरित नहीं करे। इस प्रकार इस आदेश व प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों में भिन्नता के कारण केवल फोटों प्रति के आधार पर किसी दस्तावेज के पंजीयन पर रोक लगाना नियम विरूद्ध है।

अपीलार्थी द्वारा दौराने बहस यह भी कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी निवाई के स्थगन आदेश दिनांक 15–2–2011 में अप्रार्थीगण को विवादित आराजी को हस्तांतरित नहीं करने के लिए पाबन्द किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में

Scanned with CamScanner

अप्रार्थीगण कौन–कौन है इसकी जानकारी तो सूरजमल के प्रार्थना पत्र व उसके साथ संलग्न आदेश दिनांक 15–2–2011 से नहीं हो रही थी। वास्तवित स्थिति तो तब स्पष्ट हुई जब उप पंजीयक निवाई के नाम सम्मन कमांक 8940 व 8948 दिनांक 14–3–2011 को तहसील में प्राप्त हुआ। उक्त सम्मन प्राप्त होने से पूर्व दिनांक 1–3–2011 को ही विकय पत्रों व हक त्याग दस्तावेजों का पंजीयन किया जा चुका था। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ने उप पंजीयक निवाई को विवादित भूमि की रजिस्ट्री नहीं करने के लिए अपने आदेश दिनांक 15–2–2011 में पाबन्द नहीं किया है। ऐसी स्थिति में विकय पत्र को पंजीबद्ध नहीं करने का कोई आधार ही नहीं था। राज्य सरकार के परिपत्र संख्या 9/09 के बिन्दु संख्या 11 (8) में स्पष्ट किया गया है कि जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा दस्तावेज के पंजीयन के संबंध में निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती तब तक दस्तावेज के पंजीयन को रोका नहीं जावे। प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय ने पंजीयन के संबंध में निषेधाज्ञा जारी नहीं की है। इसलिए जिला कलक्टर, टोंक ने अपीलार्थी के विरूद्ध कार्यवाही कर जो दण्ड दिया गया है वह नियम विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर श्रीमान् जिला कलक्टर टोंक द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 21–11–2011 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

जिला कलक्टर, टोंक द्वारा उनके कार्यालय के पत्र कमांक 3449 दिनांक 7–9–2012 द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्राप्त अपील के सन्दर्भ में पैरावाईज टिप्पणी प्रस्तुत कर कथन किया कि जिला कलक्टर, टोंक द्वारा दण्डादेश दिनांक 21–11–2011 न्याय नियम व रिकार्ड पर उपलब्ध दस्तावेजी प्रमाणों के अनुरूप ही पारित किया गया है। उक्त प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी, निवाई द्वारा जांच के पश्चात ही अग्रिम कार्यवाही की गई है। उपखण्ड अधिकारी निवाई द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट एवं दस्तावेजात से लगाये गये आरोप सिद्ध होने पर तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब में अपना पक्ष सिद्ध नहीं कर पाने पर ही दण्डादेश पारित किया गया है।

जिला कलक्टर, टोंक ने प्रस्तुत टिप्पणी में यह भी अंकित किया कि अपीलार्थी ने वास्तवितकता को छिपाते हुए कथन किया है कि विवादित प्रार्थना पत्र की छाया प्रति प्रार्थी सूरजमल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ उपखण्ड अधिकारी निवाई के दिनांक 15–2–2011 की आदेशिका भी प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की गई थी, जिसमें स्पष्ट रूप से अप्रार्थीगण विवादित आराजी को आगामी तारीख पेशी तक किसी को हस्तांतरित करने प्रार्थीगण के हक व हिस्से में कोई बाधा डालने या मजाहमत करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया था। इसमें तहसीलदार निवाई एवं उप पंजीयक निवाई को भी अप्रार्थीगण संख्या 7 व 8 के रूप में पाबन्द किया गया है जिसकी सूचना अपीलार्थी ने दिनांक 23–2–2011 को भू.अ.शाखा एवं पजीयन शाखा को प्राप्त होना अंकित किया है तथा प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा के होने की सूचना होने पर भी पंजीयन लिपिक द्वारा उसका अस्थाई पंजिका में समय पर इन्द्राज नहीं करना तथा पंजीयन हेतु प्रस्तुत दस्तावेज पर नोट अंकित नहीं किया जाना तथा प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा होने

Scanned with CamScanner

पर भी विवादित भूमि को जानबूझकर पंजीबद्ध किया गया। जहां तक संबंधित न्यालय के स्थगन आदेश की छाया प्रतियां प्रार्थी सूरजमल द्वारा प्रस्तुत किया जाना तथा मूल स्थगन आदेश यथा समय नहीं होने का प्रश्न है तो इस संबंधमें यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि फैक्स एवं ई–मेल तथा फोटो प्रति के इस वैज्ञानिक युग में इन संसाधनों से प्राप्त किसी न्यायालय द्वारा पारित आदेश के संबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सूचित होने के उपरानत अनदेखी किया जाना न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की परिभाषा में आता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि कथित संसाधनों से प्राप्त सूचना की जानकारी दूरभाष एवं ई–मेल आदि द्वारा की जा सकती है। अपीलार्थी का यह कथन निराधार एवं तथ्यहीन है।

जिला कलक्टर, टोंक ने अपनी टिप्पणी में यह भी कथन किया है कि किसी भी राजस्व न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा की आदेशिका में सामान्यतया समस्त अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है तथा विशेष परिस्थितियों में जहां तकासमा एवं अन्य प्रवृति का वाद होने पर ही अप्रार्थीगण को इंगित कर पाबन्द किया जाता है। ऐसी स्थिति में जब किसी अधिनस्थ संबंधित कार्यालय को किसी न्यायालय का स्थगन आदेश प्राप्त होने पर उसकी नेचर तथा उद्देश्य किस अप्रार्थी को किस हद तक पाबन्द किया गया है, इस संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं होने पर संबंधित न्यायालय से वस्तुस्थिति की जानकारी की जा सकती थी। राज0 पंजीयन नियम 1955 के नियम 39 के अन्तर्गत कोई तथ्य पंजीयक के ध्यान में आते हो तो उक्त तथ्यों का अंकन दस्तावेज में धारा 60 की कार्यवाही के साथ करते हुए पंजीयन की कार्यवाही की जावे। विवादित प्रकरण में प्रस्तुत वाद सूरजमल बनाम रामसहाय आदि में अप्रार्थी संख्या 7 व 8 के रूप में कमश तहसीलदार निवाई एवं उप पंजीयक निवाई को पक्षकार बनाया गया है तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निवाई द्वारा आदेश दिनांक 15–2–2011 में 1 से 8 जिसमें कम संख्या 7 व 8 पर अंकित तहसीलदार निवाई व उप पंजीयक निवाई सहित इस आशय के साथ पाबन्द किया गया है कि वे विवादग्रस्त आराजी को आगामी तारीख पेशी तक किसी को हस्तांतरित नहीं करे। प्रार्थी के हक व हिस्से में कोई बाधा व मजामहत नहीं करे। जिला कलक्टर, टोंक द्वारा पारित दण्डादेश राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के प्रावधानों की पालना करते हुए प्रकरण पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अपीलार्थी को सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुए पारित किया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील आधारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज की जावे।

मैंने अपीलान्ट द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उठाये गए बिन्दुओं पर विचार किया तथा जिला कलक्टर, टोंक द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक प्रतिवेदन व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे स्पष्ट है कि जिला कलक्टर, टोंक ने उपखण्ड अधिकारी, निवाई द्वारा पारित स्थगन आदेश के आधार पर अपीलार्थी को दोषी माना है। जिला कलक्टर, टोंक द्वारा अपीलार्थी

Scanned with CamScanner

पर आयत पांच आरोपों की जांच हेतु किसी भी अधिकारी को जांच अधिकारी भी नियुक्त नहीं किया गया। केवल स्थगन आदेश को आधार मानकर आरोप प्रमाणित माने गये है। सिविल सेवा नियमों में यह प्रावधान है कि किसी भी अपचारी कर्मचारी के विरूद्ध आरोपों को प्रमाणित करने के लिए जांच अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए तथा अपचारी कर्मचारी को पर्याप्त व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। जिला कलक्टर, टोंक द्वारा अपचारी कर्मचारी पर लगाये गये आरोपों को प्रमाणित करने के लिए जांच अधिकारी नियुक्त नहीं किया एवं न ही अपचारी कर्मचारी को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर ही प्रदान किया गया जिसका उल्लेख जिला कलक्टर, टोंक द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 21–11–2011 में कहीं पर भी दृष्टिगोचर नहीं होता है। अपीलार्थी द्वारा यह भी कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निवाई द्वारा पारित स्थगन आदेश की सूचना समय पर नहीं मिली थी। अपीलार्थी द्वारा विवादित भूमि की रजिस्ट्री होने के बाद स्थगन आदेश प्राप्त हुआ था। अपीलार्थी को स्थगन आदेश की प्रति अन्य पक्षकार द्वारा लाकर दी थी जिसका अंकन रजिस्टर में कर दिया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश की प्रति अपीलार्थी को समय पर नहीं मिलने से रजिस्ट्री दिनांक 1–3–2011 को की गई है जबकि स्थगन आदेश की प्रति उपपंजीयक कार्यालय को भी भिजवाई जानी थी।

यहां यह भी स्पष्ट करना उचित होगा कि पंजीयन विभाग के परिपत्र संख्या 9/09 में दस्तावेज के पंजीयन के संबंध में उल्लेखित किया गया है कि जबतक किसी वाद के अन्तर्गत उप पंजीयक को पक्षकार बनाकर सक्षम न्यायालय द्वारा दस्तावेज के पंजीयन के संबंध में निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई हो, तब तक दस्तावेज के पंजीयन को नहीं रोका जावे। राजस्थान पंजीयन नियम 1955 के नियम 39 के अन्तर्गत काई तथ्य उप पंजीयक के ध्यान में आते है तो उक्त तथ्यों का अंकन दस्तावेज में धारा 60 की कार्यवाही के साथ करते हुए पंजीयन की कार्यवाही की जावे। उक्त प्रकरण में न्यायालय नें पंजीयन के संबध में निषेधाज्ञा भी जारी नहीं की है। न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 15–2–2011 में उप पंजीयक निवाई को विवादग्रस्त भूमि की रजिस्ट्री नहीं करने के लिए पाबन्द भी नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में विक्रय पत्र को पंजीबद्ध नहीं करने का कोई आधार ही नहीं था।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त प्रकरण से संबंधित अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई की आदेशिका में दिनांक 21–8–2012 को अंकन किया गया है कि प्रार्थी उक्त प्रकरण को चलाना नहीं चाहते है अतः प्रकरण नोटप्रेस में खारिज किया जाता है। उक्त प्रकरण में किसी व्यक्ति विशेष को हानि नहीं हुई है एवं न ही कोई राजस्व की हानि होने का ही उल्लेख है। अतः ऐसी स्थिति में दिनांक 2–11–2011 को अपचारी कर्मचारी को नियम 17 के तहत कार्यवाही करते हुए वृहत दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतएवं उपरोक्त परिस्थितियों में जिला कलक्टर, टोंक द्वारा पारित दण्डादेश निरस्त योग्य है।

Scanned with CamScanner

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा जिला कलक्टर, टोंक का आदेश कमांक एफ–1(6) विजा/स्था0/2011/4049–52 दिनांक 21–11–2011 प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किया जाता है। अपीलार्थी को समस्त परिलाभ देय होंगे। साथ ही अपचारी कर्मचारी को भी भविष्य में सावधानीपूर्वक कार्य करने की हिदायत दी जाती है। निर्णय की सूचना संबंधित को भी दी जावे।

Scanned with CamScanner